करंसी नोट की शरई हैसियत

मौजूदा दौर में लेन देन की मुद्रा सोना और चांदी के बजाए काग़ज़ के नोट हैं। सरकारी क़ानून भी इन काग़ज़ी नोटो को क़ीमत की जगह मान्यता देते हैं जिसकी वजह से काग़ज़ी नोटों की हैसियत क़ानूनी मुद्रा की हो गयी है, इस प्रचलन ने शरीअत और फ़िक़्ह के निर्देशों के संबंध में जो समस्याएं पैदा की है उनका जायज़ा 8-11 दिसम्बर 1989 ई0 - 8-11 जमादिल उला 1410 हि0 को जामिया हमदर्द दिल्ली में आयोजित दूसरे फ़िक़्ही सेमिनार में लिया गया। जिन बिन्दुओं पर सहमति हुई वह यह हैं:

1- करंसी नोट सनद व हवाला (प्रमाण पत्र) नहीं है बल्कि खुद समन (मुद्रा) है, और इस्लामी शरीअत की नज़र में इस की हैसियत क़ानूनी मुद्रा की है।

2- इस आधार पर एक देश की करंसी को उसी देश की करंसी से कम करके या बढाकार नहीं बदला जा सकता, न नक़द रूप में और न उधार रूप में।

3- दो देशों की करंसियां विभिन्न मुद्रा और मूल्य रखती है, इस लिए उनकी हैसियत विभिन्न जिन्स (प्रकार) की है, जिन्हें एक दूसरे से बदला जा सकता है, और एक दूसरे के मुक़ाबले उनकी मात्र घट और बढ सकती है। इस अन्तर का आधार बाज़ार भाव या लेन देन करने वाले पक्षों की सहमति पर निर्भर है।

4- करंसी नोटों पर ज़कात लागू होती है।

5- नोटों में ज़कात का निसाब (मात्र) चांदी के निसाब की क़ीमत के बराबर होगा।

6- लबिंत मामलों (लंबे समय के लिए लेन देन) में करंसी नोटों के मूल्य में उतार चढाव का शरई निर्देश निर्धारित करने में यह सेमिनार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका और इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श किया जाएगा।

☆☆☆